



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail: [hr@ptcul.org](mailto:hr@ptcul.org)

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट: [www.ptcul.org](http://www.ptcul.org)

पत्रांक: 186/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6

दिनांक: 02.02.2026

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री तेजबीर सिंह, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम (वेतनमान रु० 36800-116500, वेतन लेवल-6), परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, पिटकुल, रुड़की को कार्यालय अधीक्षक-वि०श्रेणी (वेतनमान रु० 36800-116500, वेतन लेवल- 6) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

1. उपरोक्त पदधारक की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. यदि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध जॉच या अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
3. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियंत्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यह आदेश निर्गमन के दिनांक अथवा उपर्युक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, दोनों में से जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।
5. उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक की पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से बाद में निर्गत किये जायेंगे।
6. सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक दिनांक 07.02.2026 तक पदोन्नत पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
7. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी पदोन्नत कार्मिक द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से दिनांक 09.02.2026 तक ई-मेल ([hr@ptcul.org](mailto:hr@ptcul.org)) द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 186/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6 तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-निदेशक (मा०सं०)/परिचालन, पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता (परीक्षण एवं परिचालन), पिटकुल, हल्द्वानी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, रुड़की।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित कार्मिक/सम्बन्धित पत्रावली।

  
(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)